

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 523)/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मुकेश, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्डार, जिला सवाई माधोपुर तत्कालीन पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सरदारशहर, जिला चूरु को परिवीक्षाकाल अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 19.09.2017 से 26.09.2017 तक 8 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-Sd/-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 523)/2019/261 दिनांक:- 8/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर/रतनगढ़ (जिला चूरु)।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्डार (सवाई माधोपुर)/सरदारशहर (जिला चूरु)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर